रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 27 अप्रैल, 1982/7 वैशाख, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 मार्च, 1982

संख्या 3-6/81-इलैक.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/79-28, दिनांक 16 फरवरी, 1982, संवादी 27 माघ, 1903 शक् अंग्रेजी रूपान्तर सहित जन-साधारण की सूचनार्थ पुनः प्रकाशित की जाती है।

आदेश से,
अनंग पाल,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

———

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली:
16 फरवरी, 1982
तारीख ————————
माघ 27, 1903 शक्

अधिसूचना

का0 आ0. . .—भारत निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 12 फरवरी, 1982 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है और निदेश दिया है कि निर्वाचन आयोग के अभिलेखों में "यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट" का नाम "नागा नेशनल

डेमोक्रेटिक पार्टी" के रूप में बदल दिया जाए और यह कि नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को आरक्षित प्रतीक "मुर्गा" जारी रखने की अनुमति दे दी जाए;

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) और उप-पैरा (2) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3 (ii) तारीख 28 सितम्बर, 1979 में का0 आ0 557 (अ) के रूप में प्रकाशित और समय-समय पर यथा संशोधित अपनी तारीख 28 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना सं0 56/79 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्.—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 2 में, "नागालैंड" के सामने, उस सारणी के स्तम्भ 2 में वर्णित "2. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट" आंकड़ा और शब्दों के स्थान पर, "2. नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी" आंकड़ा और शब्द रखे जाएंगे ।

उक्त वर्णित संशोधन तारीख 12 फरवरी, 1982 से प्रभावी समझा जाएगा ।

[सं0 56/79-28]

आदेश से,
आर0 पी0 भल्ला,
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NEW DELHI:

Dated—*16th February*, 1982
Magha 27, 1903 (*Saka*)

NOTIFICATION

S.O....—Whereas by its order dated the 12th February, 1982, the Election Commission of India has held and directed that the name of the "United Democratic Front" be changed to "Naga National Democratic Party" in the records of the Commission and that the Naga National Democratic Party be allowed to retain the revised symbol "Cock".

Now, therefore, in pursuance of clause (*b*) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbol (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment to its notification No. 56/79, dated the 28th September, 1979, published as S.O. 557 (E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 (ii), dated the 28th September, 1979, as amended from time to time, namely:—

In Table 2 appended to the said notification, against 'Nagaland' **for the figure and words** "2. United Democratic Front" appearing in column 2 of the Table, the **figure and words** "2. Naga National Democratic Party" shall be **substituted.**

The above-mentioned amendment shall be deemed to have taken effect from **12th February, 1982.**

[No. 56/79-XXVIII]

By order,
R. P. BHALLA,
Secretary to the Election Commission of India.

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 फरवरी, 1982

संख्या एल0एस0 जी0 ए0 (4)-35/81.—हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम, 1968 की धारा 257 की उप-धारा (1) के खण्ड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उपमण्डलाधिकारी (सिविल), शिमला को अधिसूचित क्षेत्र समिति ढली, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का पदेन प्रधान तीन सालों के लिए सहर्ष नियुक्त करने का तुरन्त आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,
आर0 के0 आनन्द,
सचिव ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 6 मार्च, 1982

सं0 पी0सी0एच0-एच0ए0 (5) 140/77.—क्योंकि ग्राम पंचायत देहला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ग्राम देहला में खसरा नं0 4950 में स्थित भूमि में से 1 कनाल भूमि राजस्व विभाग को पटवारखाना निर्माणार्थ स्थानान्तरित करना चाहती है,

और क्योंकि उक्त भूमि का स्थानान्तरण जन हितार्थ है,

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ग्राम पंचायत देहला की ग्राम देहला में खसरा नं0 4950 में स्थित भूमि में से 1 कनाल भूमि हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 37 के अन्तर्गत इस शर्त पर राजस्व विभाग को स्थानान्तरित करने के सहर्ष आदेश देते हैं कि उक्त भूमि पटवारखाना निर्माण हेतु ही प्रयुक्त की जाये ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

लोक निर्माण विभाग

शुद्धि पत्र

सोलन, 25 फरवरी, 1982

सं0 एस0ई0-III-जी0आर0 61-10/81-24868-71.—इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस0-ई-III-जी-आर-61-10/81-18046-49 दिनांक 5-10 81 में

निम्नलिखित शुद्धि की जाती है :-

जिला : सिरमौर तहसील : नाहन

ग्राम	खसरा नं0 जो पहले स्तम्भ-4 में प्रकाशित किए गए			सही खसरा नं0 जो स्तम्भ 4 में दिए गए खसरा नं0 के स्थान पर पढा जाए		
	बीघा	बिस्वा		बीघा	बिस्वा	
मण्डलाह	332	10	9	322	10	9

हस्ताक्षरित/-
अधीक्षण अभियन्ता,
तृतीय वृत, लोक निर्माण विभाग, सोलन ।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 फरवरी, 1982

संख्या गृह (ए) एफ (13)-1/82.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) में अपेक्षित है, इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन उन क्षेत्रों में, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11-69/68-गृह दिनांक 15-11-77 तथा 7-3-77 में निर्दिष्ट किये गये हैं, निम्नलिखित अवधि के दौरान पूर्व परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी अभ्यास करने हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय को सरकारी राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना उन लोगों की सूचना हेतु, जो कि इस के द्वारा प्रभावित होने सम्भावित हैं, सहर्ष प्रकाशित करते है :—

जुलाई, 1982	दिसम्बर, 1982
15 से 21	08 से 14
अगस्त, 1982	जनवरी, 1983
05 से 11	06 से 12
23 से 29	फरवरी, 1983
सितम्बर, 1982	08 से 14
07 से 13	मार्च, 1983
20 से 26	05 से 11
अक्तूबर, 1982	23 से 29
04 से 10	अप्रैल 1983
21 से 27	05 से 11
नवम्बर, 1982	24 से 30
06 से 12	मई, 1983
	05 से 11

के0 सी0 पाण्डेय,
मुख्य सचिव।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 3 मार्च, 1982

संख्या 11-2/72-कूप एफ एण्ड एस.—राज्यपाल महोदय हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अकाउंट्स मैनुअल के नियम 1.8, 1.13 और 1.19 में संदर्भित अनुसूची के भाग ए और बी में निम्नलिखित संशोधन करने का सह आदेश देते हैं :—

संशोधन

The words "(with the prior approval of the Deputy Commissioner of the respective District)", occurring in clause (*ii*) in col. No. 3 against item No. 25(a) and (b) under Part A of Appendix I, be deleted and against item No. 25 (a) in col. No. 4 the words "by the respective Deputy Commissioner" be added after the word "quotations" occurring in condition No. (i).

In condition No. (i) in col. No. 3 against item No. 7 (a) under Part B of Appendix I the words "by the respective Deputy Commissioner" be added after the word "quotations"

The following new items, numbering as Sl. Nos. 27 and 21, be inserted after Sl. No. 26 under Part-A and Sl. No. 20 under Part-B of Appendix I, respectively:—

APPENDIX I

(Part A)

Sl. No.	*Nature of powers*	*To whom delegated*	*Extent*
27.	To sanction subsidy claims *i.e.*, differential cost pertaining to foodgrains supplied at reduced/subsidised rates as per Scheme approved by the State Government. (Differential cost means the difference between landed cost and retail price which includes element of cost, commission, transportation and other incidental charges and taxes etc).	Director of Food and Supplies.	Full power subject t budget pro vision.

(Part B)

21.	To sanction subsidy claims *i.e.*, differential cost pertaining to foodgrains supplied at reduced/subsidized rates as per Scheme approved by the State Government.	Full powers subject to the condition that the carriage/transportation/ incidental charges claimed are approved by the respective D. C. of the District & subject to budget provision.	Sr. No. 27 c Part-A Appendix-

By order,
Sd/-
Commissioner-cum-*Secretar*

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171 002, 19 अप्रैल, 1982

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5)-116/78.-- क्योंकि श्री मूल राज को जिलाधीश ऊना ने हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत पंचायत निधि तथा प्रधान के पद के दुरुपयोग के आरोप में ग्राम पंचायत चतारा, तहसील व जिला ऊना के पद से उनके कार्यालय आदेश सं0 1576-79, दिनांक 20-4-81 के अन्तर्गत निलम्बित किया गया है;

और क्योंकि उक्त सम्बन्ध में मामले की जांच करने पर प्रधान को केवल छोटी छोटी अनियमितताएं करने का दोषी पाया गया ।

अतः राज्यपाल, हि0 प्र0, जिलाधीश ऊना के उक्त आदेशों को हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(4) के अन्तर्गत रद्द करने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।